भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1073

उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे

†1073. **श्री राजेश रंजन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों की कुल संख्या कितनी है, जो पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके हैं;

(ख) सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(घ) सर्व शिक्षा अभियान की कितनी निधियों का उपयोग ऐसे कार्यकलापों के लिए किया गया है, जो सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित नहीं हैं;

(ङ) क्या बिहार राज्य में प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है और इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इसके उद्देश्यों को पूरा करने में इस कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन किया है; और

(छ) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम की सफलता के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) : स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्कूली शिक्षा के संकेतकों पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाईज़+) विकसित की है। बिहार राज्य में

समग्र शिक्षा के तहत पहचाने गए 6-14 वर्ष की आयु के पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

	वार्षिक औसत ड्रॉपआउट दर - **2021-22** (प्रतिशत में)	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
बिहार	0	4.62

स्रोत: यूडाईज़+ 2021-22

(ख) : देश भर में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना 2000-2001 से कार्यान्वित की जा रही थी। अब, एसएसए के साथ-साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) की अन्य दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं को स्कूली शिक्षा के लिए एक नई एकीकृत योजना-समग्र शिक्षा के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, जिसे 2018-2019 से देश में शुरु किया गया है। यह स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से कक्षा XII तक एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा योजना को अब एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें नए स्कूलों और अतिरिक्त कक्षाओं की स्थापना, स्कूल के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना केंद्र प्रायोजित योजना पीएम पोषण के तहत प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक समय का गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना; निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और वर्दी आदि का प्रावधान शामिल है।

(ग) और (घ) : पिछले तीन वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत बिहार राज्य के लिए प्रारंभिक शिक्षा (ईई) हेतु आवंटित निधियों का केंद्रीय शेयर और उसका उपयोग नीचे दिया गया है:

वर्ष	ईई के तहत आवंटित केंद्रीय शेयर (रुपये करोड़ में)	व्यय (ईई) (रुपये करोड़ में)
2021-22	3638.81	5193.35
2022-23	4430.95	5966.48
2023-24	4478.06	6897.78

स्त्रोत: प्रबंध

समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना में एक अंतर्निहित समवर्ती मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली है। वित्तीय प्रबंधन और खरीद पर समग्र शिक्षा मैनुअल में फंड प्रवाह व्यवस्था, लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा, बाहरी लेखा परीक्षा, खरीद प्रक्रिया आदि संबंधी विस्तृत प्रक्रियाएं शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन समितियों की वार्षिक रिपोर्ट भी हर साल संसद के पटल पर रखी जाती है। जब भी योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के मामले सामने आते हैं, तो राज्य सरकारों द्वारा उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ.) से (छ) : प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में लागू की गई सबसे प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है, जो पात्र बच्चों को एक समय का गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। यह योजना बिहार सहित पूरे देश में लागू की गई है और इसमें 10.63 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बालवाटिका और कक्षा I-VIII के 11.56 करोड़ बच्चे शामिल हैं। पीएम पोषण योजना का उद्देश्य भारत में बहुसंख्यक बच्चों की दो गंभीर समस्याओं, अर्थात भूख और शिक्षा का निम्नलिखित के माध्यम से समाधान करना है:

I. बाल वाटिका तथा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I से VIII तक पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना।
II. वंचित वर्गों से संबंधित गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना।
III. सूखा और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को गर्मी की छुट्टियों और आपदा के समय पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।

योजना के तहत एक समय का गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के अलावा, पात्र बच्चों के पोषण मानकों को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित पहलें भी की जा रही हैं:

- तिथि भोजन: तिथि भोजन की अवधारणा को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है, जिसमें लोग नियमित भोजन के अलावा विशेष अवसरों/त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन उपलब्ध कराते हैं।

- पूरक पोषण: कुपोषण आदि के अभिज्ञात किए गए अधिक मामलों वाले जिलों में पूरक पोषण के लिए नम्यता घटक के तहत उचित प्रावधान किया जा रहा है।

- कुछेक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से छात्रों को दूध, अंडा, फल आदि जैसी अतिरिक्त वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं।

****